Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

विषय सूची

इकाई - 10
राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक संस्थाएं

क्र.	अध्याय	पेज न.
1	भारत निर्वाचन आयोग	06–13
2	राज्य निर्वाचन आयोग	14–16
3	संघ लोकसेवा आयोग	17–23
4	मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग	24–26
5	बाल संरक्षण आयोग	27–32
6	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	33–36
7	पिछड़ा वर्ग आयोग	37–39
8	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	40–44
9	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	45–49
10	नीति आयोग	50–53
11	मानवाधिकार आयोग	54–60
12	महिला आयोग	61–67
13	अनुसूचित जाति आयोग	68–71
14	अनुसूचित जनजाति आयोग	72–74
15	सूचना आयोग	75–77
16	खाद्य संरक्षण आयोग	78–79
17	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	80–82
18	सतर्कता आयोग	83–85
19	अन्य आयोग	86–87

Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

"संवैधानिक/सांविधिक संस्थाएँ"

आयोग

संवैधानिक निकाय

भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत् जिन निकायों का उल्लेख है, उन्हे संवैधानिक निकाय माना जाता है। इन निकायों को सीधें संविधान से शक्ति प्राप्त होती हैं। इन निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संशोधन की आवश्यकता हैं।

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC-315)
- वित्त आयोग (FC Art-280)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC Art-338)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NSST Art-338 A)
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Art-148)
- निर्वाचन आयोग (Art-324)
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (Art-338 B)

सांविधिक निकाय

- विधायिका द्वारा निर्मित तथा लिखित रूप में मौजूद कानूनों को सांविधिक निकाय कहा जाता है। जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है। इसकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती हैं।

परिवर्तन – सामान्य अधिनियम द्वारा

- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCWA Act 1990)
- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (Commision for Protection of Child Rights Act-2005)
- केन्द्रीय सूचना आयोग (Right to Information Act-2005)
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Centeral Vigilance commission Act-2003)
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal Act-2010)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRA Act 1993)
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- खाद्य संरक्षण आयोग (National Food Security Act-2013)

कार्यकारी

सरकार के कार्यकारी आदेश से निर्मित निकाय

परिवर्तन–सरकार की इच्छानुसार

↓

नीति आयोग

↓

1 जनवरी 2015 (सरकार के आदेशानुसार)

Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

भारत एवं मध्यप्रदेश राज्य के प्रमुख आयोग

आयोग	गठन	प्रकृति	संरचना	कार्यकाल	नियुक्ति	हटाना
निर्वाचन आयोग	25 जनवरी 1950	संवैधानिक स्वतंत्र स्वायत्त	1 (अध्यक्ष) + 2 (सदस्य)	6/65 वर्ष	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के समान प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयोग	1 फरवरी 1994	संवैधानिक अनु. 243 K	1 सदस्यीय	5/65 वर्ष	राज्यपाल	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
मानव अधिकार आयोग	12 अक्टूबर 1993 धारा 3	सांविधिक	1 + 12 (नियुक्ति धारा 4) + महासचिव	3/70 वर्ष	राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय चयन समिति	राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात्
राज्य मानवाधिकार आयोग	13 सितंबर 1995 धारा–21	सांविधिक	1 (अध्यक्ष) + 2 (सदस्य) + सचिव	3/70 वर्ष	राज्यपाल द्वारा चयन समिति	राष्ट्रपति हाइकोर्ट की जांच के पश्चात्
संघ लोकसेवा आयोग	1 अक्टूबर 1926	संवैधानिक	1 (अध्यक्ष) + सदस्य (लगभग 10)	6/65 वर्ष	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग	27 अक्टूबर 1926	संवैधानिक	1 अध्यक्ष + अन्य सदस्य (वर्तमान में 3)	6/62 वर्ष	राज्यपाल द्वारा मंत्रीमण्डल की सलाह पर	राष्ट्रपति, त्यागपत्र– राज्यपाल को
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	1858 वर्तमान– 26 जनवरी 1950	स्वतंत्र एवं संवैधानिक	1 सदस्य	6/65 वर्ष	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया (आधार–दुर्व्यवहार , अयोग्यता)
महिला आयोग	31 जनवरी 1992	सांविधिक, सलाहकारी	1 + 5 + सचिव	3/65 वर्ष	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार
राज्य महिला अयोग	23 मार्च 1998	सांविधिक	1 + 5 + सचिव	3/65 वर्ष	राज्य सरकार	राज्य सरकार
अनुसूचित जाति आयोग	12 मार्च 1992 पृथक– 19 फरवरी 2004	संवधानिक	1 + उपाध्यक्ष + 3 सदस्य	राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित (3 वर्ष)	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्य अनुसूचित जाति आयोग	अधिनियम क्र. 25, वर्ष–1995	संवैधानिक	1 + 2 अशासकीय सदस्य + आयुक्त	3/65 वर्ष	राज्य सरकार	राज्य सरकार

अनुसूचित जनजाति आयोग	19 फरवरी 2004	संवैधानिक	1 + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य	3 वर्ष	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	29 जून 1995	संवैधानिक	1 + 2 अशासकीय सदस्य + आयुक्त	3 वर्ष	राज्य सरकार	राज्य सरकार
पिछड़ा वर्ग आयोग	14 अगस्त 1993	संवैधानिक (102वां संविधान संशोधन)	अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 3 सदस्य	3 वर्ष	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	13 मार्च 1993	संवैधानिक	1 + 3 सदस्य	3 वर्ष	राज्य सरकार	राज्य सरकार
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग	5 मार्च 2007	सांविधिक	अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 5 सदस्य	3 वर्ष	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग	11 फरवरी 1964	सांविधिक दर्जा 2003 में	1 मुख्य आयुक्त + 2 आयुक्त	4/65 वर्ष	राष्ट्रपति (समिति की सिफारिश)	राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच पश्चात्
राज्य सतर्कता आयोग	1 मार्च 1964	सांविधिक	1 + 2	4/65 वर्ष	राज्यपाल	राज्यपाल
केन्द्र सूचना आयोग	12 अक्टूबर 2005	सांविधिक	1 मुख्य + अन्य (10 से अनाधिक)	केन्द्र द्वारा निर्धारित	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्य सूचना आयोग	4 फरवरी 2006	सांविधिक	1 + 10	केन्द्र द्वारा निर्धारित	राज्यपाल	राज्यपाल
राज्य खाद्य आयोग	21 जुलाई 2017	सांविधिक	1 + 5	5/65 वर्ष	राज्य सरकार	राज्य सरकार
नीति आयोग	1 जनवरी 2015	कार्यकारी गैर सांविधिक, गैर संवैधानिक	1 + उपाध्यक्ष + 3 पूर्णकालिक सदस्य + 4 पदेन + 4 विशेष आमंत्रित	—————	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण	18 अक्टूबर 2010	सांविधिक	1 अध्यक्ष + अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य एवं 1 विशेष सदस्य	5 वर्ष	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार (पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	अधिनियम – 1992	सांविधिक	1 अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 5 सदस्य	3 वर्ष	केन्द्र सरकार	केन्द्र सरकार

Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

भारत के प्रमुख आयोग के प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष

आयोग	प्रथम अध्यक्ष	वर्तमान अध्यक्ष
निर्वाचन आयोग	सुकुमार सेन	सुशील चंद्रा (24वें)
राज्य निर्वाचन आयोग	एन. वी. लोहानी	बसंत प्रताप सिंह (6वें)
संघ लोकसेवा आयोग	सर रॉस बॉर्कर एवं एच. के. कृपलानी (प्रथम भारतीय)	प्रदीप कुमार जोशी
राज्य लोकसेवा आयोग	डी. व्ही. रेगे	राजेश लाल मेहरा
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	एडवर्ड ड्रमंड एवं वी. नरहरि राव (स्वतंत्र भारत)	गिरीश चंद्र मुर्मु (14वें)
नीति आयोग	नरेन्द्र मोदी, उपाध्यक्ष– अरविंद पनगढ़िया, सीईओ–सिंधू श्री खुल्लर	नरेन्द्र मोदी उपाध्यक्ष– राजीव कुमार, सीईओ–अमिताभ कांत
मानवाधिकार आयोग	श्री रंगनाथ मिश्र	अरूण कुमार
राज्य मानवाधिकार आयोग	खलिलउल्लाह खान	नरेन्द्र कुमार जैन
महिला आयोग	जयंती पटनायक	रेखा शर्मा
राज्य महिला आयोग	कृष्णकांता तोमर	शोभा ओझा
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग	शांता सिंह	प्रियांक कानूनगो
अनुसूचित जाति आयोग	सुरजभान सिंह	विजय सापला
राज्य अनुसूचित जाति आयोग	————————	भुपेन्द्र सिंह आर्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	कुंवर सिंह	हर्ष चौहान
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	————————	नरेन्द्र मरावी
पिछड़ा वर्ग आयोग	आर. एन. प्रसाद	भगवान लाल साहनी
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	बंसतराव	राधेलाल बघेल
केन्द्रीय सूचना आयोग	वजाहत हबीबुल्लाह	यशवर्धन कुमार सिन्हा (11वें)
राज्य सूचना आयोग	टी. एन. श्रीवास्तव	अरविन्द कुमार शुक्ला
केन्द्रीय सतर्कता आयोग	निठुर श्रीनिवासराव	सुरेश एन. पटेल
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण	लोकेश्वर सिंह पंटा	आदर्श कुमार गोयल
खाद्य संरक्षण आयोग	————————	राजकिशोर स्वाई
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	न्यायमूर्ति मो. सरदार अली खान	सरदार इकबाल सिंह लालपुरा
राज्य अल्पसंख्यक आयोग	————————	निजाम मोहम्मद खान
मध्यप्रदेश वित्त आयोग	श्री सवाई सिंह	एन. के. सिंह
लोकपाल	पिनाकी चंद्र घोष	पिनाकी चंद्र घोष
मध्यप्रदेश लोकायुक्त	पी. वी. दीक्षित	नरेश कुमार गुप्ता

Copyright © - Shri Vedanta Civil Services Academy

"भारत निर्वाचन आयोग"

निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय हैं इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था।

वर्णन – भारतीय संविधान के भाग–15 अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य, राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए **अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण** की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में हैं।

सामान्य परिचय -

- **अनुच्छेद 324** – निर्वाचन आयोग
- **स्थापना** – 25 जनवरी 1950 (मतदाता दिवस)
- **मुख्यालय** – नई दिल्ली
- प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त – **सुकुमार सेन** (सूडान एवं नेपाल के भी पहले CEC)
- **वर्तमान** – सुशील चंद्रा **(तीन सदस्योय आयोग)**
- **वर्तमान आयुक्त** – राजीव कुमार, अनुपचंद्र पाण्डेय
- प्रथम **महिला** मुख्य **निर्वाचन आयुक्त – वी. एस. रमादेवी 1990**
- **प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त – एस. वाय. कुरैशी**
- **प्रथम चुनाव** – 1951–52

मुख्य काय – संसद, राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों पर चुनाव कराना।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद - **भाग–15 (अनु. 324 से 329)**

अनुच्छेद 324 -निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान–मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों क लिए निर्वाचक–नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदशन और नियंत्रण, एक आयोग में निहित होगा जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्टपति समय–समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। जिसकी **नियुक्ति राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है तथा अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर की जाती हैं।
- संरचना मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य आयुक्तों से मिलकर जो राष्ट्रपति निर्धारित करे।
  - मूलतः एक सदस्य
  - 16 अक्टूबर 1989 तीन सदस्य
  - 2 जनवरी 1990, 30 सितंबर 1993 तक यह पुनः एक सदस्यीय
  - **1 अक्टूबर 1993** से फिर तीन सदस्यीय निकाय तब से लेकर वर्तमान तक या तीन सदस्य निकाय के रूप में कार्यरत हैं।

- ❖ निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन न तो संविधान में है और न ही अधिनियम में है।
- ❖ आयुक्तों की नियुक्ति – राष्ट्रपति

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्टपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात, खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

(5) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निधारित करे।

✪ निर्वाचन आयोग के सदस्य संबधी योग्यता, शपथ, कार्यकाल, सेवा शर्तों का वर्णन संविधान में नहीं हैं।

✪ निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991

- तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के समान) (धारा–3)
- वेतन 2.5 लाख प्रतिमाह
- अलाभकारी परिवर्तन नही
- पदावधि :– 6 वर्ष/65 वर्ष (धारा–4)

परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्ते एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।

- **त्यागपत्र** :– राष्ट्रपति
- **हटाने की प्रक्रिया** →
  - → **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान
  - → **अन्य** – मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल'' निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 325

धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक

नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक–नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन–क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 326

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी

विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 'अठारह वर्ष,' की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्टोकृत होने का हकदार होगा।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 327

विधान–मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् समय–समय पर, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक–नामावली तैयार कराना, निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगी ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 328

किसी राज्य के विधान–मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान–मंडल की शक्ति

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद् इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक, किसी राज्य का विधान–मंडल समय–समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक–नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 329

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी –

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन या एसे निर्वाचन–क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान–मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

निर्वाचन आयोग की संरचना – अनुच्छेद 324 (2)

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य (राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित)
2. **नियुक्ति** – राष्ट्रपति (अनुच्छेद 324 (2))
3. राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता हैं।
4. निर्वाचन आयुक्तों व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इन्हे भारत के सुप्रोम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा, वेतन, भत्ते आदि मिलते हैं।
5. सेवा शर्ते व पदावधि 6 वर्ष 65 वर्ष का निर्धारण (निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991)
6. **त्यागपत्र** – राष्ट्रपति 324(5)
7. **हटाने की प्रक्रिया** – मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। (निष्कासन के लिए दो तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता, सदन के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत अधिक मतदान।)

आधार :-

- अक्षमता या साबित कदाचार
- **अन्य निर्वाचन आयुक्त** – मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता हैं। किंतु इस संबंध में राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह मानने हेतु बाध्य नही हैं।
- उपरोक्त पदों मे से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नही किया गया है।
- महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया अन्य किसी मामलों में नही अपनाई गई हैं।

8. सभी आयुक्तों के वेतन भत्ते समान होते है।
9. नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नही।

निर्वाचन आयोग के कार्य :-

1. यह राजनीतिक दलों और उम्मीद्वारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि अनुचित कार्यों पर रोक लगाई जा सके और सत्ताधारी दलों द्वारा शक्तियों का दुरूपयोग न किया जाए।
2. संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
3. निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना।
4. किसी राजनैतिक दल को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आंवटित करना।
5. निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो, टी.वी कार्यक्रम सूची तैयार करना।
6. संसद सदस्यों के निरहर्ता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति से सलाह देना।
7. रैगिंग, मतदान केन्द्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना।
8. चुनावों को रद्द करना।
   (a) चुनावों में धांधली होने के कारण।
   (b) किसी निर्दलीय प्रत्याशी के मतदान के पूर्व में मृत्यु हो जाने पर चुनाव रद्द हो जायेगा किन्तु यदि मृत उम्मीदवार किसी राजनैतिक दल से है तो संबंधित पार्टी को दूसरा उम्मीदवार तय करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है।
9. यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव में 'आदर्श आचार संहिता' जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए।
10. यह सभी राजनीतिक दलों के लिये प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है।

निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ – चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं –

- आयोग चुनाव के बाद सदस्यों की अयोग्यता के लिए सलाह दे सकता है। अगर एक उम्मीदवार को चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आयोग से परामर्श करते हैं।
- आयोग उन उम्मीदवारों को निलंबित कर सकता है जो अपने चुनाव खर्च को समय पर जमा करने में विफल रहते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अनु 324, मे निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती।उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति मे देश मे मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है जहां कही संसद विधि निर्वाचन के संबंध मे मौन है वहां निष्पक्ष

चुनाव करवाने के लिये निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यद्यपि प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए।

- आयोग जनमत के परिणामों को दबा सकता है यदि वह लोकतंत्र के लिए इस तरह की कार्रवाई को उचित मानता है।
- निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है।
- निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ निर्वाचन विधियों की पूरक है न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरूद्ध प्रयोग नही की जा सकती है।
- यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है।
- जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनु 14,15 भी राष्ट्रपति, राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते है।

<u>चुनाव संबंधी समितियाँ</u> :-

1. **तारकुंडे समिति 1974–75 गठन** – जयप्रकाश नारायण द्वारा
   - व्यस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना।
   - राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
   - चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करे।
2. **दिनेश गोस्वामी समिति–1990**
   - लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन संबंधी
   - मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाय।
   - मतदान फोटो पहचान की व्यवस्था की जाए।
   - केन्द्र या राज्य सरकार पर जनप्रतिनिधियों का पद खाली होने की दशा में छः माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए।
3. **इन्द्रजीत गुप्ता समिति–1998**
   - लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए।
   - दस हजार से अधिक चंदे की राशि ड्रॉफ्ट अथवा चैक के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो।
4. **के. संथानम समिति**
   - निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीद्वारों के लिए न्यूनतम अहर्ता की व्यवस्था हो।
   - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारियां, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संसद तथा राज्य विधायिका में स्थानों के आवंटन आदि के बारे में प्रावधान करता है।
5. **तनखा समिति – 2010**
   - सुधार चुनाव कानूनों पर

<u>अन्य तथ्य</u> :-

1. **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** –
   - ❒ 25 जनवरी
   - ❒ प्रथम 2011
   - ❒ **2021 की थीम** – सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक।

2. **वर्तमान में राष्ट्रीय राजनैतिक दल**

			स्थापना	**चिन्ह**
i.	बहुजन समाज पार्टी	–	1984	हाथी
ii.	भारतीय जनता पार्टी	–	1980	कमल
iii.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	–	1925	हँसिया और बाली
iv.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मॉर्क्सवादी)	–	1964	हंसिया और हथौड़ा एवं तारा
v.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	–	1885	पंजा
vi.	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	–	1999	घड़ी
vii.	तृणमूल पार्टी	–	1998	जोड़ा फूल
viii.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	–	2013	किताब

3. **ईवीएम (Electronic Voting Machine)**
   - ➢ 1982 केरल (पारूर विधानसभा) में किया गया
   - ➢ 2004 लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः EVM द्वारा सम्पन्न होती हैं।
   - ➢ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बैंगलोर) तथा इलेक्ट्रानिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (हैदराबाद)

4. **VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail)**
   - → 2013 पहली बार उपयोग नागालैण्ड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था।
   - → 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से किया गया।
   - → 2019 लोकसभा।

5. **आचार संहिता** – निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम करने।
   1. चुनाव की तारोख से समाप्ति तक।
   2. केरल 1960 प्रथम बार लागू की गई थी।
   3. 1962 लोकसभा हेतु।
   4. चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट हेतु नागरिकों के लिए "सीविजिल एप्प" लॉच किया गया।

6. **अन्य कार्यक्रम**
   1. SVEEP (Systematic Voter Education and Electoral Participating Program)
   2. NOTA (None of the above) लागू 2013 – पहली बार प्रयोग करने वाला राज्य – कर्नाटक

      यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज बनाम भारत सरकार
   3. **पिंक बूथ** – भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरूआत पूर्व चुनाव आयोग नसीम जैदी ने की थी। लोकसभा में पहली बार 2019 में बना।
   4. महिलाओं द्वारा पहली बार पूर्णतः चुनाव कराया गया – हरदा
   5. जीपीएस के उपयोग से मतदान केन्द्रों पर रियलटाइम निगरानी की जा सकती हैं।

6. टी.एन. शेषन के द्वारा रंगीन वोटर आईडी लागू की गई।
7. सैन्य मतदाताओं को चुनाव में मतदान हेतु प्रॉक्सी मतदान सुविधा दी गई–2003।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ❒ भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार–1926
- ❒ भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई हैं।
- ❒ मुख्य निर्वाचन आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है।
- ❒ सन् 2010 में निर्वाचन आयोग द्वारा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाया गया।
- ❒ रिटर्निंग अधिकारी वह होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है।
- ❒ चुनाव में किसी प्रत्याशी को 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती हैं।
- ❒ **चुनाव आयोग के कार्य नहीं है–** 1. किसी राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की सिफारिश करना। 2. चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। 3. चुनाव की वेधता का निपटारा करना। 4. स्थानीय निकायों के चुनाव। 5. लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। 6. चुनाव के लिए उम्मीद्वारों का चयन।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त -

क्र.	नाम	कार्यकाल
1.	सुकुमार सेन	21 मार्च,1950 – 19 दिसम्बर, 1958
2.	के.वी. के. सुंदरम	20 दिसम्बर, 1958 – 30 सितम्बर,1967
3.	एस.पी.सेन वर्मा	1 अक्टूबर, 1967 – 30 सितम्बर, 1972
4.	डॉ. नगेन्द्र सिंह	1 अक्टूबर, 1972 – 6 फरवरी, 1973
5.	टी. स्वामीनाथन्	7 फरवरी, 1973 – 17 जून, 1977
6.	एस.एल. शकधर	18 जून, 1977 – 17 जून, 1982
7.	आर. के. त्रिवेदी	18 जून, 1982 – 31 दिसम्बर, 1985
8.	आर.वी.एस. शास्त्री	1 जून, 1986 – 25 नवम्बर, 1990
9.	वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 – 11 दिसम्बर, 1990
10.	टी.एन.शेषन्	12 दिसम्बर, 1990 – 11 दिसम्बर, 1996
11.	एम.एस. गिल	12 दिसम्बर,1996 – 13 जून, 2001
12.	जे.एम.लिंगदोह	14 जून, 2001 – 7 फरवरी, 2004
13.	टी.एस. कृष्णमूर्ति	8 फरवरी,2004 – 15 मई, 2005
14.	बी.बी. टंडन	16 मई, 2005 – 28 जून, 2006
15.	एन.गोपालस्वामी	29 जून, 2006 – 20 अप्रैल, 2009
16.	नवीन चावला	21 अप्रैल, 2009 – 29 जुलाई, 2010
17.	शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी	30 जुलाई, 2010 – 10 जून, 2012
18.	वी.एस. संपत	11 जून, 2012 – 15 जनवरी, 2015
19.	एच.एस.ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015 – 18 अप्रैल, 2015

20.	नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 – 5 जुलाई, 2017
21.	अचल कुमार ज्योति	6 जुलाई, 2017 – 22 जनवरी, 2018
22.	ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018 – 1 दिसम्बर, 2018
23.	सुनील अरोड़ा	2 दिसम्बर, 2018 – अक्टूबर, 2021
24.	सुशील चन्द्रा	वर्तमान